राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(2)राज/वाद/2020 जयपुर, दिनांक 27-01-2020

:: आदेश::

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 5 (51) कार्मिक/क-2/88, दिनांक 31.12.96 के तहत श्री विजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमकार शर्मा, जन्म तिथि 04.05.1992 व शैक्षणिक योग्यता (बी.बी.ए.) स्नातक उत्तीर्ण, जाति-ब्राहमण, निवासी- 63/82 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्यालय विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, क्रम संख्या-5 जयपुर महानगर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तो के साथ-साथ निम्न शर्तो के अध्याधीन भी होगीः-

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L-5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14600/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन(फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची–4 के नियम 16, नोट कमांक–4 के अनुसार प्रति वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
6. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होंगे।
7. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. अभ्यर्थी को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.08.10, 21.09.10 एवं दिनांक 21.06.2017 के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा, नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष के अन्दर उत्तीर्ण करनी होगी। नियत अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

ह०

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री विजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमकार शर्मा, को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग को उनके पत्र कमांकः प. 12(5) कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 10.01.2020 के कम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर।
5. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
6. श्री विजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमकार शर्मा, निवासी– 63/82 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर।
7. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, क्रम सं०-5, जयपुर महानगर।
9. रक्षित पत्रावली।

27/1/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि